आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/I/68652 दिनांकः 09-05-2017

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप निदेशक/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला.....समस्त.....

विषयः–चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में कार्यरत उप रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) के रजिस्ट्रीकरण कार्य के कर्तव्यों बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य में संचालित चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में आमजन की सुविधा हेतु जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य हेतु संस्थान के प्रभारी अधिकारी, जिसमें चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी भी सम्मिलित है, को उपरजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इन चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त उप रजिस्ट्रारों को निदेशालय के पत्रांक 11740–72 दिनांक 12.03.2013 एवं 44310–42 दिनांक 27.11.2013 तथा समय–समय पर इनके कर्तव्यों के संबंध में पत्र जारी किये गये है जिसमें प्रमुख रूप से जिस चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी/पी.एच.सी. में रजिस्ट्रेशन सेन्टर खोला गया है वहॉ केवल उस संस्थान परिसर क्षेत्र में घटित जन्म/मृत्यु/मृत जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाना तथा इन रजिस्ट्रेशन सेन्टर में केवल अविलम्बित अवधि (21 दिवस में) ही अनिवार्य रूप से घटनाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाना शामिल है।

परन्तु ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश जिलों में संचालित अस्पताल/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में कार्यरत उपरजिस्ट्रार द्वारा 21 दिवस पश्चात भी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है और प्रमाण पत्रों में संशोधन कार्य किया जा रहा है, जबकि उक्त कार्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिये। इससे स्पष्ट होता है कि उप रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 और राज्य नियम 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशों की भी अवहेलना है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में नियुक्त उपरजिस्ट्रारों को निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करें:–

1. जिस चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में रजिस्ट्रेशन सेन्टर खोला गया है वहां केवल उस संस्थान परिसर क्षेत्र में घटित जन्म/मृत्यु/मृत जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जावेगा।

2. इन रजिस्ट्रेशन सेन्टर में केवल अविलम्बित अवधि (21 दिवस) में अनिवार्य रूप से घटनाओं का रजिस्ट्रेशन किया जावेगा।
3. संस्थान में घटित घटना का रजिस्ट्रीकरण कार्य पूर्ण होते ही उपरजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रथम प्रति इत्तिलादाता को निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
4. सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकरण के बाद किये जाने वाले कार्य यथा बच्चे का नाम जोडना, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 और राज्य नियम, 2000 के नियम 11 के तहत प्रविष्टि को रद्द अथवा संशोधन करना जैसे कार्य सम्बन्धित रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जावेगा।
5. उपरजिस्ट्रार द्वारा जन्म/मृत्यु रिकार्ड मासिक रूप से रजिस्ट्रार कार्यालय को भिजवावें।

भवदीय,

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/I/68652 दिनांकः 09-05-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, जिला.....
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
3. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव